राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

रिव्यू याचिका संख्याः— 16 / 2000

अंतर्गत

अपील संख्या :—2000 / 1998

निरंजन लाल शर्मा

—अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.10.2024

<u>उपस्थित —</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज, अधिववक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश को रिव्यू किए जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अधिकरण का आदेश नियमों के अनुसार नहीं है। रिव्यू करने के संबंध में जो प्रावधान धारा 6(5) राजस्थान सिविल सेवा (सेवा—मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 है, वो निम्न प्रकार से हैः—

> 6(5) "The Tribunal may, on its own motion or on the application of any party interested, review its own decision or order and pass in reference there to such order as it thinks just and proper. Provided that the Tribunal shall not review its own decision or order unless it is satisfied that there has been discovery of new and important fact or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by such partly at the time when such decision or order was made, or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record: Provided further that no application under this sub-section shall lie to the Tribunal after the expiry of thirty days from the date of the decision or order of which review is being sought: Provided also that an application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filling the application within such time.

उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि रिव्यू याचिका उस स्थिति में ही दायर की जा सकती है, जब कोई नया तथ्य अपीलार्थी की ध्यान में आया हो, जो पहले उसकी ध्यान में नहीं था या फिर रिव्यू तब किया जा सकता है, जब आदेश में कोई (face of record) त्रुटि रही हो।

वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो उसके ध्यान में पूर्व में नहीं हो। आदेश में कोई त्रुटि भी प्रकट नहीं होती है। अतः अपने आदेश को रिव्यू किये जाने का कोई आधार हमारे समक्ष नहीं है। पूर्व में पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

2. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यू याचिका बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

3. आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)